

## बन्दोबस्ती आम सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर के निम्नलिखित सैरातों का दिनांक- 01/04/2021 से 31/03/2022 तक के लिए खुली डाक द्वारा सैरातों के सामने अंकित तिथि (क) दिनांक- 15/03/2021 को समय-12.30 बजे अपराहन में नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने पर सैरातों के सामने अंकित अनुवर्ती तिथि क्रमशः ख एवं ग को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की कार्यवाई की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक डाक में भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	परिसम्पत्ति का विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	जमानत राशि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय
1	अस्पताल रोड शौचालय का डाक	1,36,710.00	54684.00	(क)दिनांक-15/03/2021 अपराहन 12.30 बजे अनुवर्ती तिथि- (ख)
2	विश्वास बोर्ड द्वारा हस्तांतरित शौचालय के अन्तर्गत टैक्सी स्टैण्ड शौचालय का डाक	93,994.00	37,598.00	दिनांक-16/03/2021 अपराहन 12.30 बजे
3	बबुआ घाट स्थित शौचालय की डाक	10000.00	4000.00	(ग)दिनांक-17/03/2021
4	राजा-रानी तालाब स्थित शौचालय का डाक	10000.00	4000.00	अपराहन 12.30 बजे
5	कृष्णवाटिका पार्क स्थित शौचालय का डाक	10000.00	4000.00	
6	भगत सिंह चौक शौचालय का डाक	1,26,000.00	50400.00	

आवश्यक शर्तें:-

- डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक बोलने के पूर्व अपना अद्यतन आवासीय पता अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्गत या वोटर कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
- डाक में भाग लेने के पूर्व डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 40 प्रतिशत जमानत की राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा जो डाक समाप्ति के बाद असफल डाक वक्ताओं को जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी, तथा सफल डाक वक्ता की जमानत की राशि डाक की बोली गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
- उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती दी जाएगी तथा डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगी।
- सक्षम पदाधिकारी जो डाक की स्वीकृति प्रदान करेंगे उन्हें यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि अपरिहार्य कारणों से डाक को अस्वीकृत कर दें अथवा प्रश्नगत डाक से हटा लें।
- बन्दोबस्ती स्थल/बाजार की सफाई एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी डाकधारी की होगी।
- सभी तरह के विवादों का निपटारा स्थानीय न्यायालय स्तर से ही मान्य होगा।
- बंदोबस्तधारी को अद्यतन श्रमकानूनों का अनुपालन करना होगा एवं जी0एस0टी0, आयकर सहित अन्य सभी अद्यतन सरकारी कानूनों का भी अनुपालन करना होगा।
- इण्डियन स्टाम्प एक्ट सिडूल-1A के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वीकृत राशि का 02 प्रतिशत की राशि आयकर विभाग को स्वीकृत बन्दोबस्तदार को जमा करना अनिवार्य होगा।

Dr. 15/2/21  
नगर आयुक्त  
नगर निगम मुंगेर